न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयाल
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्र0क0 2129–एक/2012 विरूध्द आदेश दिनांक 27–6–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल म0प्र0 क0 80/अपील/2011–12.

पुरूषोत्तम मोदानी, पुत्र स्व श्री चर्तुभुजदास मोदानी
निवासी मुकर्जी मार्ग, आर्य समाज चौक के पास,
ब्यावरा जिला राजगढ़ म0प्र0

—— आवेदक

विरूध्द

मेसर्स बायोटेक फर्टिलाईजर्स प्रा0लि0 इण्डिया
परिवर्तित नाम मार्वल कमिकल्स प्रा0लि0
119, ज्योलिमेकर चेम्बर नम्बर 11, नरीमन पाईन्ट
मुम्बई महाराष्ट्र द्वारा प्रबंध संचालक

—— अनावेदक

– – –

श्री योगेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक– आवेदक
श्री श्रीकृष्ण गोपाल तिवारी, अभिभाषक–अनावेदक

– – –

आदेश

(आज दिनांक 15/11/ 2014 को पारित)

– – –

यह निगरानी का आवेदक व्दारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 80/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 27–6–2012 से अन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार ब्यावरा के समक्ष संहिता की धारा 115–116 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम अरन्या के कृषि खाता कं 146 किता 14 रकबा 10.262 पर भूमिस्वामी के रूप में नाम इन्द्राज हेतु प्रस्तुत किया गया। नायब तसीलदार ने प्रकरण कमांक 4/अ–6–अ/92–93 में पारित आदेश दिनांक 12–1–1993 से आवेदक का नाम राजस्व अभिलेखों के कॉलम न. 12 में नवीन कब्जा की

प्रविष्ट दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये। अनावेदक द्वारा तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष धारा 5 के साथ प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 28–10–2010 द्वारा प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर के समक्ष पुनरीक्षण पेश की गई, जिसमें अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 23–9–2011 के द्वारा पुनरीक्षण आवेदन निरस्त किया। तत्पश्चात अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील प्रकरण कमांक 27/अ–6–अ/2009–10 में सुनवाई कर अंतिम आदेश दिनांक 1–11–2011 को पारित कर अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष पेश की। अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 27–6–2012 के द्वारा द्वितीय अपील स्वीकार करते हुये नायब तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये गये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया है कि नायब तहसीलदार ने 12 वर्षों से अधिक समय चले आ रहे कब्जे, विधि के अनुकम में आवश्यक कार्यवाही एवं साक्ष्य अंकित करने के उपरांत कब्जा अंकित करने के आदेश दिये गये थे। आवेदक अभिभाषक का यह भी तर्क है कि तहसीलदार के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी स्थिर रखा गया था, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है। लिखित तर्क में यह भी आधार लिया गया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में व्यवहावाद माननीय व्यवहार न्यायालय न्यायधीश वर्ग–1 ब्यावरा के समक्ष वाद कमांक 4/अ–2011 दायर किया था, जिसमें आदेश दिनांक 01–12–2011 के द्वारा प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये थे, परन्तु अपर आयुक्त ने प्रकरण में कार्यवाही स्थगित न कर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है। अंत में आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस विधिक बिन्दु पर विचार नहीं किया स्वत्व के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार केवल व्यवहार न्यायालय को हैं, परन्तु अपर आयुक्त ने इस ओर ध्यान न देकर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है। उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया कि अनावेदक भूमिस्वामी को बिना सूचना दिये तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है। उनका यह भी तर्क है कि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत नवीन प्रविष्टी दर्ज करने की अधिकारिता तहसीलदार को नहीं है, अतः तहसीलदार द्वारा अधिकारितावीहीन आदेश पारित किया गया। तहसीलदार द्वारा बिना किसी प्रकियाओं एवं नियमों का पालन किये बगैर शासकीय अभिलेख में नाम इद्राज करने पारित किये गये थे, जो निरस्ती योग्य हैं। तर्क में यह भी आधार उठाया कि अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश को निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है। अंत में अनावेदक अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक द्वारा अनावेदक को वादग्रस्त भूमि विकय की थी, परन्तु विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय को इस ओर ध्यान न देकर अनावेदक को बिना कोई सूचना दिये एकपक्षीय आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है। उनके द्वारा निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया गया।

5/ अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया गया । प्रकरण में अपर आयुक्त के यह निष्कर्ष सही है कि धारा 115, 116 के अन्तर्गत कार्यवाही के पर्याप्त आधार इस प्रकरण में उपलब्ध नहीं थे । भूतलक्षी प्रभाव से कब्जे की प्रविष्टि के आदेश दिया जाना पूरी तरह अनियमित कार्यवाही की श्रेणी में आता है । आवेदक द्वारा विक्रय पत्र को तो स्वीकार किया जा रहा है लेकिन ऐसा लगता है कि वह राजस्व न्यायालयों का दुरूपयोग कर अपनी पूर्ण धनराशि न मिलने की समस्या का समाधान करना चाह रहा है जबकि इसके लिए उचित फोरम व्यवहार न्यायालय है । आवेदक का यह तर्क की अपर आयुक्त ने स्वामित्व का विवाद माना है तथ्यात्मक आधार पर सही नहीं है ।

6/ निगरानी में अन्य कोई ऐसे आधार नहीं बताए गए है जिनके आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जा सके । अतः यह निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर